

कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

568/THA/4H/2006



मानचित्र संख्या 231/MP/2012 दिनांक 17/03/2012
श्रीमति/श्री, मैसर्स ~~प्रीत कौ बिल्डिंग लिमिटेड~~ द्वारा
परिणत की बिना जिनके पत्र की सहायता
निवासी - II सी-95 नहर नगर गाजियाबाद।

आपके प्राथमिक पत्र दिनांक 19/3/2006 के सन्दर्भ में
आपके प्रस्तावित ~~मुप इलाक़े में~~ भवन की मीहला/
कालोनी/ग्राम ~~खसरा नं० 955 से 960 101 1015 व 1017 से 1051~~ पर

निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
- मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे - नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
- बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध स्वयं करना होगा।
- स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मीके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
- यह मानचित्र 30 प्रो नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
- सुरक्षित एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 04/11/2011 का पालन करना होगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से 30 प्रो राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
- स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
- 300 वर्ग मीटर या उसके अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप हार्वैस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- 12-00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अस्थपना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
- अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय प्राविधिक संस्थाएं प्रशिक्षण केन्द्र सामुदायिक केन्द्र बैंकवेट बैंकवेट हॉल बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना तथा मानचित्र निर्गत होने से पूर्व अग्नि शमन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
- भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 (3) के अन्तर्गत इस प्रतिष्ठान स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।
संलग्नक : विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आर0सी0सी0 टाई वीम डालना उचित / आवश्यक है। जो डी0पी0सी0 लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

1. एक सेट स्वीकृत मानचित्र

पत्रांक
प्रतिलिपी

/एमपी/

दिनांक

1. प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण